शामराव देशमुख को भारत रत्न प्रदान करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। डा. पंजाबराव शामराव देशमुख का जन्म 27 दिसंबर, 1898 को हुआ था, जिन्हें भाऊसाहेब के नाम से जाना जाता था। वे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में कृषि मंत्री थे। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से, अतिशय गरीब परिस्थिति से आने वाले पंजाबरावजी देशमुख का शिक्षण कैंब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ और वे बैरिस्टर बने। घर में घोर गरीबी के बावजूद उन्होंने यात्रा के लिए लोक सहभाग से पर्याप्त धन जुटाया। उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री और संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 'वैदिक साहित्य में धर्म की उत्पत्ति और विकास' विषय के साथ अपनी पीएचडी पूरी की। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के तहत अध्ययन किया। उन्होंने अछूतों को अमरावती के अंबा देवी मंदिर में प्रवेश की अनुमति के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने अमरावती में श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आज इस सोसाइटी में 24 डिग्री कॉलेज, 54 इंटरमीडिएट कॉलेज, 75 हाई स्कूल, 35 छात्रावास, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो बहुजन समाज के लड़कों को पढ़ाते हैं। 1952 से 1962 तक 10 वर्षों के लिए उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे डा. बी.आर. अम्बेडकर से प्रेरित थे। वे डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन के समर्थक थे। वे डा. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित स्वतंत्र लेबर पार्टी के विदर्भ क्षेत्र के सचिव भी थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को उन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए समर्पित किया, जो कृषि और कृषकों के लिए समृद्धि लाए।

उन्होंने 'भारत कृषक समाज' की स्थापना की थी, 1955 में 'फूड फॉर मिलियंस' नामक अभियान शुरू किया था और 1959 में 'विश्व कृषि मेला' का सर्वप्रथम आयोजन किया था। उन्होंने 1958 में जापानी पद्धति से चावल की खेती की शुरुआत भी की थी। इस वर्ष पूरा भारत डा.पंजाबराव देशमुख जी की 125वीं जयंती मना रहा है। चूंकि डा.पंजाबराव देशमुख जी ने शिक्षा, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में पूरे देश में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए मैं उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित करने का अनुरोध करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member Dr. Anil Sukhdeorao Bonde: Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra).

श्रीमती माया नारोलिया, 'Demand for revival and conservation of Narmada River.'

Demand for revival and conservation of Narmada River

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, नर्मदा नदी केवल एक जलधारा ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। यह नदी प्रदेश के 16 जिलों से होकर बहती है और इसकी जलधारा पर लाखों किसान, श्रद्धालु एवं स्थानीय समुदाय निर्भर हैं। महोदय, मैं सरकार द्वारा नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करती हूं। हालांकि 'नमामि गंगे' कार्यक्रम और विभिन्न राज्य स्तरीय नदी पुनर्जीवन पहलों ने पर्यावरण संतुलन बहाल करने और स्वच्छ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं इस सदन का ध्यान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मध्य भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली यह नदी, अत्यधिक रेत उत्खनन, वनों की कटाई और अनियंत्रित प्रदूषण के कारण संकट में है। राज्य सरकार द्वारा 'नर्मदा सेवा मिशन' के तहत सहनीय कदम उठाए गए हैं, लेकिन पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करने, सतत जल प्रबंधन और जल सहभागिता को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता है।

माननीय उपसभापति महोदय, इसी तर्ज पर, मैं सरकार से मांग करती हूं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया जाए, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस कदम से नर्मदा का प्राकृतिक प्रवाह, उसकी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद मिलेगी। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस पवित्र नदी को जीवित करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करे और एक समग्र पुनर्जीवन योजना लागू करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। जय नर्मदा मैया, नमामि देवी नर्मदे!

श्री उपसभापतिः माननीय श्री देरेक ओब्राईन, not present. माननीय श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा।

Demand for reclamation of Kabaw Valley to Manipur, India

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Pandit Nehru gifted away Kabaw Valley of Manipur to erstwhile Burma, now Myanmar, in March, 1953 after having a meeting in Manipur with his counterpart, Mr. U-Nu, the then Prime Minister of Burma. This Valley is a very resourceful and fertile landmass of nearly 22,210 square kilometres, and it had been once a part of Manipur Kingdom from as early as 1450 AD. The giving away of Kabaw Valley to Burma was the most unfortunate day in the history of Manipur because it was done without any prior approval of Indian Parliament or State endorsement or ratification.

Moreover, Nehru completely ignored the terms and conditions of the Treaty of Yandaboo in 1826. According to Kabaw Valley Agreements of 1834, Burma agreed to pay a sum of 500 Sicca Rupees per month as compensation of Kabaw Valley to the then King of Manipur, Shri Gambhir Singh.The said amount had been paid to Manipur till 1949, and, after 1949, with the merger of Manipur to India, the same amount was paid to the Government of India till around 1953.